



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, मई 23—मई 29, 2010, शनिवार/ज्येष्ठ 2—ज्येष्ठ 8, 1932  
No. 22] NEW DELHI, MAY 23—MAY 29, 2010, SATURDAY/JYAISTHA 2—JYAISTHA 8, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

विस्तार मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 25 मई, 2010

का. आ. 1368.—सर्वसाधारण कि जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम, 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोनार्थ कर निर्धारण वर्ष 2009-2010 से आगे बोस इन्स्टीट्यूट, कोलकाता को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्यकलापों में लगी 'संघ' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, अर्थात्:—

- (i) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा।
- (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा।

(iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग खाता बही रखेगा जिसमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से ऐसी खाता-बही की लेखा-परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप धारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

(iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:—

2. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd.,  
Kolkata.

[No. S-38014/48/2008-SS-I]  
S. D. XAVIER, Under Secy.

### EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as processing of the applications for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

नई दिल्ली, 14 मई, 2010

**का.आ. 1430.**—जबकि मैसर्स बिन्नी इंजीनियरिंग लिमिटेड, चेन्नई [कोड संख्या टी.एन./31 चेन्नई क्षेत्र के अंतर्गत] (तदुपरांत प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) ने भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (तदुपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत प्रदान की गयी छूट को निरस्त करने हेतु आवेदन किया है।

2. जबकि उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(क) के अंतर्गत 1-11-1952 से छूट प्रदान करने संबंधी अधिसूचना संख्या उ.क्षे.का. 3416 दिनांक 17-10-1957 भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गयी थी।

3. और जबकि अब सरकार के ध्यान में यह आया है कि इस प्रतिष्ठान ने 31-12-2005 से अपनी छूट अभ्यर्पित कर दी है और यह काफी समय से कार्य नहीं कर रहा है।

4. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त प्रतिष्ठान को प्रदान की गई छूट को 1-1-2006 से निरस्त करती है।

[सं. एस-35017/2/2007-एस एस-II]  
एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 14th May, 2010

**S.O. 1430.**—Whereas M/s Binny Engineering Limited, Chennai [under Code No. TN/31 Chennai region] (hereinafter referred to as the establishment) has applied for cancellation of exemption granted by Government of India under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the Act).

2. Whereas a notification No. SRO 3416 dated 17-10-1957 granting exemption w.e.f. 1-11-1952 under section 17(1)(a) of the said Act to the said establishment was published in the gazette of India.

3. And whereas now it has come to the notice to the Government that the establishment has surrendered its exemption with effect from the 31-12-2005 and it is no longer carrying on any activity.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 17 of the said Act the Central Government hereby cancels the exemption granted to the said establishment with effect from the 1-1-2006.

[No. S-35017/2/2007-SS-II]  
S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मई, 2010

**का.आ. 1431.**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 16 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मत होने के कारण कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत पंजीकृत कतिपय स्थापनाओं की परिस्थितियों के मद्देनजर अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य तदनु रूप नियम के अंतर्गत ऐसा करना जरूरी तथा समीचीन है, एतद्वारा निम्नलिखित श्रेणी के प्रतिष्ठानों को 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि तक उक्त अधिनियम के प्रचालन से छूट प्रदान करती है :

(क) जिनका वित्तपोषण पूर्णतः केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार तथा आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों से प्राप्त सहायता अनुदान से होता हो बशर्ते कि सहायता अनुदान में भविष्य निधि में नियोक्ताओं के अंशदान के संबंध में नियोक्ता की देयताओं को पूरा करने के प्रयोजन से कोई राशि शामिल न हो; अथवा

(ख) जो लोक धर्म अथवा दातव्य न्यासों अथवा अक्षय-निधियों (मठों, मन्दिरों, गुरुद्वारों, वक्फों, चर्चों, यहूदी सभाघरों, एजीरियों अथवा सार्वजनिक धार्मिक अन्य पूजा स्थलों) अथवा सोसाइटियों अथवा धार्मिक न्यासों अथवा दातव्य अथवा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ न्यासों द्वारा चलाए जाते हों और केन्द्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत उपर्युक्त रूप में अधिसूचित किए गए हों।

2. बशर्ते कि ऐसी श्रेणी के प्रतिष्ठान कोई विश्वविद्यालय, कोई कॉलेज, कोई विद्यालय, कोई वैज्ञानिक संस्थान, कोई ऐसा संस्थान चलाते हों जिसमें छात्रों से कोई प्रभार अथवा शुल्क लेकर अनुसंधान, शिक्षा जानकारी अथवा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हो अथवा वे कोई अस्पताल, नर्सिंग होम अथवा क्लीनिक चलाते हों, जिसमें रोगियों से कोई प्रभार अथवा शुल्क लेकर चिकित्सा उपचार या प्रक्रिया की जाती हो तो ऐसे कार्यकलाप को प्रथम उल्लिखित अधिनियम के प्रचालन से छूट नहीं दी जाएगी।

3. बशर्ते कि सरकार जब कभी उचित समझे छूट को रद्द करने तथा/अथवा आशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

[फा.सं. एस-35014/1/2010-एस एस-II]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 14th May, 2010

**S.O. 1431.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), The Central Government, being of opinion that having regard to the circumstances of certain establishments registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or under any other corresponding law for the time being in force it is necessary and expedient so to do, hereby exempts the following class of establishments from the operation of the said Act for a period upto the 31st March, 2015 with effect from the 1st April, 2010.

- (a) those being wholly financed by the grants-in-aid received from the Central Government, or any State Government or State Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments subject to the condition that grants-in-aid does not include any amount for the purpose of meeting the liability of the employer towards the

employers' contribution to the provident fund; or

- (b) those being run by public, religious or charitable trusts or endowments (including maths, temples, gurudwaras, wakfs, churches, synagogues, agiaries or other places of public religious workshop) or societies and Trusts for religious or charitable or other public purposes and notified as such by the Central Government under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

2. Provided that if such class of establishments run any university, any college, any school, any scientific institution, any institution in which research education, imparting knowledge or training is carried on against charges or fees from the students, or run any hospital, nursing home or clinic in which any medical treatment or procedure is carried on against charges or fees from the patients, such activity shall not be exempted from the operation of the first mentioned Act.

3. Provided that the Government reserves the right to revoke and/or modify the exemption as and when it is deemed fit.

[F. No. S-35014/1/2010-SS-II]  
S. D. XAVIER, Under Secy.